उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-492/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(185)-2021

लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफ़ारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-983/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(42)-2019 दिनांक 02 जुलाई, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उक्त व्यक्ति दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्रपत्र जीएसटीआर-04 में विवरणी, दिनांक 31 मई, 2021 तक प्रस्तुत करेंगे।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव